न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –132/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/154

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अचलसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति–राजपूत, निवासी–पोटलिया मांजरा तहसील व जिला–नागौर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री बाबूलाल भादू।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :– 12.02.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2024 अन्वान सरकार बनाम अचलसिंह में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट का अपील मयाद के बिन्दू पर बहस में कथन हैं कि अपीलांट को हल्का पटवारी, निरीक्षक भू अभिलेख व अदालत द्वारा विधि सम्मत नोटिस तामील नहीं करवाने से अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होने दी गई एवं न ही हुई तथा अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2024 को टीम के कर्मचारी मय पुलिस जब्ता के दलबल के साथ जैसीबी लेकर नया रास्ता उक्त आदेश की आड़ कायम करने में पंहुचे तब अपीलांट द्वारा पुछने पर उक्त गलत व अवैध निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 11.07.2024 को हुई तथा जिस पर मुझ अपीलांट द्वारा दिनांक 15.07.2024 को सम्पूर्ण जानकारी होने पर न्यायालय तहसीलदार नागौर के यहां निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 18.07.2024 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होते ही बिना देरी के यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो जानकारी की तारीख से अन्दर मियाद सुमार किया जाना उचित एवं न्याय संगत है इसलिए निवेदन हैं कि अपीलांट का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर देरी का उचित कारण होने से एवं जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद होने से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी शुरू से ही थी परन्तु जानबुझकर उनके द्वारा न्यायालय में अपील दायर नहीं की गई हैं। अब झूठे तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की हैं जो मयाद बाहर होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मयाद मानी जाती हैं।

मूल अपील पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि हल्का पटवारी पोटलिया मांजरा के द्वारा राजकीय आराजी पर अवैध कब्जा करने के संबंध में पोटलिया मांजरा के खसरा

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

नम्बर 50 रकबा 0.8741 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता में से 0.0202 हैक्टेयर पर अपीलांट द्वारा बाड़ व राईड़ा के जरिए नाजायज कब्जा कर लेने के संबंध में एक फर्द रिपोर्ट तैयार कर संबंधित निरीक्षक (भूअभिलेख) कुमारी से दिनांक 01.01.2024 को हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध अदालत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण बअनवान राज्य सरकार जरिए पटवारी हल्का बनाम अचलसिंह पुत्र श्री सवाई सिंह जाति राजपूत निवासी पोटलियां मांजरा अधीन धारा 91 आर. एल. आर. एक्ट 1956 प्रकरण संख्या 2/2024 दिनांक 11.01.2024 को दर्ज कर अपीलांट की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को तारीख तय की गई तथा दिनांक 29.01.2024 को पत्रावली पेश होने पर अप्रार्थी का सम्मन तामील सुदा मानकर कोई उपस्थित अप्रार्थी नहीं होने से इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर उसी दिन निर्णय पृथक से लिखाया जाकर मुझ अपीलांट को धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट के तहत अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश देकर सम्मत 2080 की लगानदर 0.30 रूपये का 50 गुणा जुर्माना राशि 15 रूपये कायम कर जुर्माना राशि वूसली हेतु पटवारी हल्का रायधनू एवं फसल को पशुओ से चराकर नष्ट करावें व मौके पर से भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा राज हक लिया जाने हेतु भू.अ. निरीक्षक कुमारी व हल्का पटवारी रायधनू को लिखा जाने का निर्णय दिनांक 29.01.2024 को सुनाया गया एवं निर्णय की आड़ में दिनांक 11.07.2024 को टीम गठित कर टीम द्वारा पुलिस जाब्ता सहित उपस्थित होकर के जरिए जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाने की फर्द बनायी गयी इससे शुब्ध होकर हमारे द्वारा यह अपील पेश की गई है। लायक अदालत मातहत का निर्णय जैर अपील गलत विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत तथा तथ्यों एवं राजस्व रेकर्ड कें विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 48 व खसरा नम्बर 51 के मध्य खसरा नम्बर 50 गैर मुमकिन रास्ता वाके मौजा पोटलिया मांजरा में से होकर चलता है जो खसरा नम्बर कटाणी रास्ता 141 से जाकर मिलता है,जो उक्त खसरान का राजस्व नक्शा देखने से स्पष्ट साबित होता है। जिसकी ताईद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नागौर के प्रकरण संख्या 282/2024 में पारित आदेश के संलग्न नक्शा से भी होती हैं।

खसरा नम्बर 48,51,50 व 141 सदहद मौजा पोटलिया मांजरा में स्थित है तथा खसरा नम्बर 170 सरहद मौजा चावण्डीया में स्थित है तथा खसरा नम्बर 48 व खसरा नम्बर 170 के सींव जोड है तथा राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 170 वाके मौजा चावण्डीया व खसरा नम्बर 48 वाके मौजा पोटलिया मांजरा का मिलान करने एवं अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि खसरा नम्बर 50 गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 170 की सींव के नहीं लगता है। खसरा नम्बर 170 व खसरा नम्बर 50 के बीच में खसरा नम्बर 48 की भूमि आती है जो अपीलीट के खातेदारी सुदा भूमि है। उक्त भूमि में से हल्का पटवारी द्वारा रास्ता बताते हुए अतिक्रमी मानते हुए फर्द बनायी गयी है। जबकि खसरा नम्बर 170 की सींव तक खसरा नम्बर 50 कटाणी रास्ता नहीं लगता है। गलत एवं नाजायज तौर से खसरा नम्बर 170 के खातेदार को गलत एवं नाजायज फायदा पहुचाने की गरज से सांठ गांठ करके अपना निजी हित साजते हुए अपीलांट के खातेदारी की जमीन को रास्ता बताकर उक्त फर्द के आधार पर प्रकरण दर्ज कर गलत रूप से नया रास्ता कायम करते हुऐ उसी आधार पर निर्णय व बेदखली की कार्यवाही की गई है जो तथ्यों,राजस्व रेकर्ड के नक्शों से स्पष्ट साबित होती है कि फर्द मौका रिपोर्ट गलत रूप से बनाकर पेश की गई एवं उसी आधार पर निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पारित कर नया रास्ता अपीलांट के खातेदारी सुदा खेत में कायम किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील दर्ज होने के पश्चात अपीलांट को तलबी हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। दिनांक 11.01.2024 को नोटिस जारी करना बताकर उसकी पुस्त के पीछे मौतबीर आसामी हाजर नहीं मिला की रिपोर्ट अंकित की गई उक्त रिपोर्ट पर किसी भी मौतबीर के हस्ताक्षर नहीं है एवं न ही तामिल की कोई तारीख का अंकन है उक्त रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर हल्का पटवारी व नाजायज फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा बैठकर के अपीलांट की पीठ में छुरा घोपतें हुए तैयार की गई है। विधि के प्रावधान के अनुसार उक्त तामील समूचित नहीं है। इसलिए अपीलांट को बिना नोटिस तामील करवाये पारित किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को बिना तामील करवाये निर्णय पारित करने से अपीलांट अपना साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश करने का अवसर नहीं मिला तथा अपीलांट द्वारा साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश किये बिना पारित किया गया निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 170 वाके मौजा चावण्डीया व खसरा नम्बर 48,50,51 व 141 के नक्शाओं का अवलोकन करने से साफ जाहिर होता है कि हल्का पटवारी द्वारा विधि के विरुद्ध नाजायज तौर से जहां पर अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 48 की जमीन में रास्ता बताते हुए अतिक्रमण की कार्यवाही की है वहां पर कोई नक्शे के अनुसार रास्ता नहीं है केवल मात्र खसरा नम्बर 170 के खातेदार को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए नया रास्ता कायम किया गया है। इसलिए उक्त आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अतः निवेदन हैं कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2024 को अपास्त किया जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 50 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उनके विरूद्व प्रकरण न्यायालय तहसीलदार,नागौर में दर्ज कर गैर सायल को विधिवत् नोटिस भेजकर उनके द्वारा बावजूद जानकारी के न्यायालय कार्यवाही में भाग नहीं लिये जाने से एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हैं,जो विधिवत् आदेश पारित किया गया हैं। आदेश की पालना में राजस्व कार्मिकों की टीम का गठन कर पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाया जा चुका हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रगट होता हैं कि पटवारी रायधनू एवं भू0अभि0निरीक्षक,कुमारी द्वारा संयुक्त जॉच रिपोर्ट तहसीलदार,नागौर को पेश कर निवेदन किया हैं कि ग्राम पोटिलिया मांजरा के खसरा नम्बर 50 रकबा 0.8741 हैं0 में से 0.0202 हैं0 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर श्री अचलसिंह पुत्र सवाईसिंह कौम राजपूत निवासी पोटिलिया मांजरा द्वारा सम्वत् 2080 में फसल जरिये बाड़ व रायड़ा के नाजायज कब्जा कर लिया हैं।

उक्त प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय तहसीलदार,नागौर में दिनांक 11.01.2024 को गैर सायल के विरूद्व पेश किया गया तथा गैर सायल को तारीख पेशी दिनांक 29.01.2024 को नोटिस जारी कर तलब किया गया हैं। नोटिस परत का अवलोकन करने से तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल घर पर नहीं मिलने पर नोटिस गैर सायल के घर पर चस्पा किया गया हैं। जिसे न्यायालय द्वारा तामिल पर्याप्त मानते हुवे निर्णय दिनांक 29.01.024 पारित किया हैं। इस प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह प्रगट हैं कि न्यायलय द्वारा प्रकरण में निर्णय से पूर्व गैर सायल

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

को नोटिस जारी किया हैं तथा आसामी का नोटिस घर पर चस्पा किये जाने के बावजूद गैर सायल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। इस प्रकार अपीलांट का यह कथना सही नहीं हैं कि न्यायालय द्वारा उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं।

पटवारी हल्का,रायधनू एवं भू0अभि0नि0कुमारी की अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई टी0पी0 रिपोर्ट अनुसार गैर सायल द्वारा गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 50 की भूमि पर नाजायज कब्जा किया था। रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील के अवलोकन से खसरा नम्बर 50 की भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हैं। तथा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल खाता संख्या 1/1 सम्वत् 2077 में खसरा नम्बर 50 रकबा 0.8741 गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से यह भलीभांति साबित हैं कि खसरा नम्बर 50 राजकीय भूमि गै0मु0 रास्ता की भूमि हैं। गै0मु0 रास्ता की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि होती हैं। इस प्रकार की भूमियों पर किसी व्यक्ति विशेष को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे यह प्रगट होता हो कि खसरा नम्बर 50 उनकी स्वामित्व की भूमि हो। इस प्रकरण में अपीलांट का यह कथन हैं कि खसरा नम्बर 50 कभी भी रास्ता की भूमि नहीं रही हैं न कभी यहॉ रास्ता रहा हैं तथा राजस्व नक्शा में भी खसरा नम्बर 50 रास्ता नहीं हैं। इन कथनों के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि खसरा नम्बर 50 राजस्व रेकार्ड अनुसार गै0मु0 रास्ता की भूमि हैं,इसलिए इन कथनों से अपीलांट को कोई बल नहीं मिलता नहीं हैं। अपील के साथ प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.07.024 के अवलोकन से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के निर्णय की पालना में राजस्व टीम का गठन किया जाकर दिनांक 11.07.2024 को मौके पर से बाड़ व पट्टीयां हटाकर अतिक्रमण हटाया गया तथा आवगमन सुचारू रूप से चालु करवाया अंकित हैं। इस प्रकार इस फर्द बेदखली रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया जा चुका हैं,तो फिर इस अपील के माध्यम से अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 50 गै0मु0 रास्ता राजकीय भूमि के सम्बन्ध में अनाधिकृत अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही करते हुवे प्रकरण संख्या 02/2024 दर्ज कर दिनांक 29.01.2024 को निर्णय पारित किया हैं,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2024 यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड मय निर्णय की प्रति के पुनः लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर

कलक्टर नागौर